रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062024-254861 CG-DL-E-22062024-254861

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2407]

नई दिल्ली, शुक्रवार , जून 21, 2024/ज्येष्ठ 31, 1946

No. 2407] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2024/JYAISHTHA 31, 1946

# वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

### उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

# आदेश

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

का.आ. 2287(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कास्ट आयरन प्रोडक्ट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एत्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को कास्ट आयरन प्रोडक्ट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग (1) तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-॥ की स्कीम-। के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।
- (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे:

3695 GI/2024 (1)

- (3) इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।
- (4) इस आदेश की कोई भी बात " उद्यम पोर्टल" के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत किसी उद्यम द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित उन वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी, जिसमें मूल लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वित्त वर्ष के लिए टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।
- (5) इस आदेश की कोई भी बात कास्ट आयरन प्रोडक्ट्स के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष दो सौ किलोग्राम तक आयातित माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, इस शर्त के साथ कि ऐसे आयातित माल और वस्तुओं को वाणिज्यिक रूप से नहीं बेचा जाएगा और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा तथा विनिर्माता आयातित माल या वस्तुओं का वर्षवार रिकॉर्ड रखेगा और अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अपने लेटरहेड पर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- **4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

# तालिका

सं.	बस्तु तथा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा)		सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	कास्ट आयरन प्रोडक्ट्स	1726: 1991	कास्ट आयरन मैन होल कवर्स और फ्रेम	1 सितम्बर, 2024	1 दिसम्बर, 2024	1 मार्च , 2025
2		1729:2002	जमीन के ऊपर नॉन-प्रेसर पाइपलाइन सॉकेट और स्पिगोट श्रृंखला के लिए कास्ट आयरन अथवा डक्टाइल आयरन ड्रेनेज पाइप और पाइप फिटिंग			
3		1879:2010	मैलिएबल कास्ट आयरन पाइप फिटिंग			
4		13349:1992	कास्ट आयरन सिंगल फेस्ड थिम्बल माउंटेड स्लुइस गेट			
5		210:2009	ग्रे आयरन कास्टिंग			
6		1537:1976	पानी, गैस और सीवेज के लिए वर्टिकल कास्ट-आयरन प्रेशर पाइप			

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी - 29026/9/2023– एलईआई] संजीव, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

#### **ORDER**

New Delhi, the 13th June, 2024

- **S.O. 2287(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Cast Iron Products (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Cast Iron Products (Quality Control) Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Compulsory use of Standard Mark.** (1) Goods or articles specified in the column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- (2) The small enterprise and micro enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively.
- (3) Nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.
- (4) Nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered with the Central Government in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises under "Udyam portal" wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.
- (5) Nothing in this Order shall apply to the goods or articles imported up to two hundred kilograms for the purpose of research and development by manufacturers of Cast Iron products per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain year-wise record of the imported goods or articles and furnish to the Central Government in its letter head duly signed by its authorised signatory.
- **3.** Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.
- **4. Penalty for contravention.-** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of India Standards Act, 2016.

#### **TABLE**

S. No.	Goods or	Indian	Title of Indian	Date of	Date of	Date of
	Articles	Standard	Standard	implementation in	implementation	Implementation
				General (other than	for Small	for Micro
				Micro and Small	Enterprises	Enterprises
				Enterprises)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cast Iron	1726:1991	Cast iron man hole	1st September,	1 <sup>st</sup> December,	1st March, 2025
	Products		covers and frames	2024	2024	
2		1729:2002	Cast iron or ductile			
			iron drainage pipes			
			and pipe fittings for			
			over ground non-			
			pressure pipelines			
			socket and spigot			
			series			
3		1879:2010	Malleable cast iron			
			pipe fittings			
4		13349:1992	Cast iron single			

			faced thimble mounted sluice gates
5	2	210:2009	Grey iron castings
6	]	1537:1976	Vertically cast -
			iron pressure pipes
			for water, gas and sewage

**Note.-** For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/9/2023-LEI] SANJIV, Jt. Secy.